भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1838

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

'एक राष्ट्र एक ग्रिड' के मद्देनजर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु स्थल

1838. श्री रंगासायी रामाकृष्णाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'एक राष्ट्र एक ग्रिड' परिकल्पना ने मूर्त रूप धारण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयले जैसे कच्चे माल के लम्बी दूरी तक परिवहन की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है क्योंकि अब अंतिम उत्पाद अर्थात् बिजली को पहुंचाना संभव होगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या भविष्य में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना कोयला खानों के मुहानों (पिट हेड्स) तक ही सीमित होगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ। रायचूर-शोलापुर 765 केवी लाइन को चालू करने, शेष ग्रिड के साथ दक्षिणी क्षेत्र ग्रिड की इंटरकनेक्टिंग के माध्यम से देश में अखिल भारत सिंक्रोनस राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की गई। इससे वास्तव में, एक राष्ट्र-एक ग्रिड एक फ्रीक्वेंसी बन गई है।

(ख) और (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 अनुबंधित करती है कि कोई भी उत्पादक कंपनी, यदि धारा 73 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानदंडों का अनुपालन करती है तो, इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बगैर उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है। तदनुसार, कोई भी उत्पादक कंपनी कोयले के परिवहन और विद्युत के पारेषण प्रभारों को ध्यान में रखते हुए लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर देश में किसी भी स्थान पर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1839

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशन्सी द्वारा उपायों की प्रभावकारिता

1839. डॉ. आर. लक्ष्मणनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशन्सी (बीईई) द्वारा पहल किए गए उपायों से कोई अपेक्षित तथा ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2019 तक देश के सभी घरों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के महान उद्देश्य को प्राप्त करने में ये उपाय सरकार के किसी काम आएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित उपायों से ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं और ऊर्जा खपत में होने वाली परिणामी बचतों के द्वारा देश में सभी घरों को चौबीसों घंटे विद्युत के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान मिला है।

(i) निष्पादन, प्राप्ति, व्यापार (पीएटी) स्कीम के अंतर्गत निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए विशेष ऊर्जा खपत मानकों में कमी निर्धारित करना।
(ii) उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए 21 उपस्करों की स्टार लेबलीकरण।
(iii) ईंधन की खपत को कम करने के लिए पैसेन्जर कारों हेतु निर्धारित ईंधन दक्षता मानक।
(iv) वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता सुधार के लिए तैयार किए गए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीवीसी)
(v) म्यूनिसिपल, घरेलू, कृषि तथा लघु एवं मध्यम उपक्रम (एसएमई) क्षेत्रों में ऊर्जा खपत कम करने के लिए मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) पर प्रदर्शन परियोजनाएं।
(vi) ऊर्जा दक्ष बहुमंजिला आवासीय भवनों के लिए डिजाइन दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
(vii) नवीन वित्तपोषण तंत्रों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में निवेश को सक्षम बनाना।
(viii) घरेलू दक्ष प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम (डीईएलपी) और सड़क प्रकाश व्यवस्था राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) के माध्यम से ऊर्जा दक्ष एलईडी लैंपों को प्रोत्साहन जिसके माध्यम से लगभग 7.5 करोड़ घरेलू एलईडी बल्ब पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।
(ix) ऊर्जा संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान।

उपरोक्त पहलों के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा बचत लगभग 83 बिलियन यूनिट है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1840

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

निधियों के अंतरण में तेजी लाना

1840. डॉ. कनवर दीप सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विनियामक कोष से विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) और वहां से जनता के खातों तक निधियों के अंतरण में बहुत अधिक समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसे अंतरण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं। निधियों के अंतरण में कोई देरी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1841

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

1841. श्री ए. के. सेल्वाराजः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बिजली रहित 20 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष जुलाई माह में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य गांवों में स्थित घरों को दिन-रात बिजली उपलब्ध कराना तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : देश में, दिनांक 01.04.2015 तक की स्थिति के अनुसार, 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांव थे, जिनमें से 6156 गांव दिनांक 7 मार्च, 2016 तक विद्युतीकृत किए गए हैं।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का अनुमोदन किया है। इस स्कीम में, ग्रामीण विद्युतीकरण के अतिरिक्त वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन तथा फीडर पृथक्करण शामिल है। इससे ग्रामीण घरों को निर्बाधित विद्युत की आपूर्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत की सुविधा होगी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1842

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

राज्य विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

1842. श्री विजय गोयलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान राज्य विद्युत वितरण कंपनियों को हुए लाभ अथवा घाटे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय द्वारा पता लगाए गए वे क्या कारण हैं जिनसे राज्य विद्युत कंपनियां अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ा पा रही हैं;

(ग) क्या सरकार राज्य विद्युत वितरण कंपनियों को दिए गए ऋण पुनःसंरचना करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो ऋण पुनःसंरचना प्रस्तावों से संबंधित राशि कितनी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित "राज्य वितरण यूटिलिटियों का निष्पादन संबंधी रिपोर्ट के अनुसार प्रयोक्ताओं को सीधे विक्रय करने वाली यूटिलिटियों के लाभ और हानियों का ब्यौरा संलग्न है।

(ख) : 29.02.2016 की स्थिति के अनुसार 12वीं योजना में राज्य क्षेत्र उत्पादन क्षमता बढ़कर 15241.1 मेगावाट हो गई है।

(ग) और (घ) : राज्य विद्युत वितरण कंपनियों(डिस्कॉम) के वित्तीय प्रचालनात्मक टर्नअराउंड के लिए भारत सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) नामक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य उनकी प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करने के अतिरिक्त वितरण क्षेत्र में ब्याज बोझ, विद्युत की लागत और विद्युत क्षति को कम करना है। भागीदार राज्य 30.9.2015 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण का 75% लेंगे। 10.3.2016 तक सात राज्य जिनका पात्र ऋण और बकाया 166643.37 करोड़ रूपए है, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) कर चुके हैं।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 14.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1842 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय कर रहीं यूटिलिटियों के लिए लाभ/(हानि)

			2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	वास्तविक आधार पर कर पश्चात लाभ/(हानि)	रिकार्डेड सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)	वास्तविक आधार पर कर पश्चात लाभ/(हानि)	रिकार्डेड सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)	वास्तविक आधार पर कर पश्चात लाभ/(हानि)	रिकार्डेड सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)	वास्तविक आधार पर कर पश्चात लाभ/(हानि)	रिकार्डेड सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)	वास्तविक आधार पर कर पश्चात लाभ/(हानि)	रिकार्डेड सब्सिडी आधार पर लाभ/(हानि)
पूर्वी	**बिहार**	बीएसईबी	(1,412)	(1,412)	(1,332)	(1,332)	(2,662)	(2,662)	(1,088)	(1,088)		0
		एनबीपीडीसीएल		0		0		0	(56)	(56)	(74)	(74)
		एसबीपीडीसीएल		0		0		0	(84)	(84)	(269)	(269)
	बिहार कुल		**(1,412)**	**(1,412)**	**(1,332)**	**(1,332)**	**(2,662)**	**(2,662)**	**(1,227)**	**(1,227)**	**(343)**	**(343)**
	झारखण्ड	जेएसईबी	(707)	(707)	(723)	(723)	(3,211)	(3,211)	(2,668)	(2,668)	(1,511)	(1,511)
	झारखण्ड कुल		**(707)**	**(707)**	**(723)**	**(723)**	**(3,211)**	**(3,211)**	**(2,668)**	**(2,668)**	**(1,511)**	**(1,511)**
	ओडिशा	सेसू	(146)	(146)	(87)	(87)	(257)	(257)	(316)	(316)	(199)	(199)
		नेसको	(28)	(28)	(72)	(72)	(92)	(92)	(77)	(77)	(45)	(45)
		सेसको	(40)	(40)	(19)	(19)	(22)	(22)	(34)	(34)	(11)	(11)
		वेसको	(27)	(27)	(38)	(38)	(52)	(52)	(132)	(132)	(87)	(87)
	ओडिशा कुल		**(241)**	**(241)**	**(215)**	**(215)**	**(423)**	**(423)**	**(559)**	**(559)**	**(342)**	**(342)**
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	(9)	(9)	(23)	(23)	(17)	(17)	39	39	33	33
	सिक्किम कुल		**(9)**	**(9)**	**(23)**	**(23)**	**(17)**	**(17)**	**39**	**39**	**33**	**33**
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	71	71	95	95	73	73	82	82	19	19
	पश्चिम बंगाल कुल		**71**	**71**	**95**	**95**	**73**	**73**	**82**	**82**	**19**	**19**
पूर्वी कुल			**(2,298)**	**(2,298)**	**(2,198)**	**(2,198)**	**(6,240)**	**(6,240)**	**(4,332)**	**(4,332)**	**(2,143)**	**(2,143)**
पूर्वोत्तर	**अरुणाचल प्रदेश**	अरुणाचल पीडी	(212)	(212)	(182)	(182)	(274)	(274)	(255)	(255)	(428)	(428)
	अरुणाचल प्रदेश कुल		**(212)**	**(212)**	**(182)**	**(182)**	**(274)**	**(274)**	**(255)**	**(255)**	**(428)**	**(428)**
	असम	एपीडीसीएल	(303)	(303)	(486)	(486)	(408)	(558)	(418)	(568)	(528)	(693)
	असम कुल		**(303)**	**(303)**	**(486)**	**(486)**	**(408)**	**(558)**	**(418)**	**(568)**	**(528)**	**(693)**
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	(145)	(145)	(204)	(204)	(307)	(307)	(315)	(315)	(194)	(194)
	मणिपुर कुल		**(145)**	**(145)**	**(204)**	**(204)**	**(307)**	**(307)**	**(315)**	**(315)**	**(194)**	**(194)**
	मेघालय	एमईएसईबी	(56)	(56)		0		0		0		0
		एमईईसीएल		0	(114)	(114)	(204)	(204)		0		0
		एमईपीडीसीएल		0		0		0	(221)	(232)	(26)	(26)
	मेघालय कुल		**(56)**	**(56)**	**(114)**	**(114)**	**(204)**	**(204)**	**(221)**	**(232)**	**(26)**	**(26)**
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	(142)	(142)	(158)	(158)	(127)	(127)	(200)	(200)	(192)	(192)
	मिजोरम कुल		**(142)**	**(142)**	**(158)**	**(158)**	**(127)**	**(127)**	**(200)**	**(200)**	**(192)**	**(192)**
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	(108)	(108)	(179)	(179)	(214)	(214)	(212)	(212)	(191)	(191)
	नागालैंड कुल		**(108)**	**(108)**	**(179)**	**(179)**	**(214)**	**(214)**	**(212)**	**(212)**	**(191)**	**(191)**
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	2	(11)	(126)	(130)	(157)	(157)	(166)	(166)	(70)	(70)
	त्रिपुरा कुल		**2**	**(11)**	**(126)**	**(130)**	**(157)**	**(157)**	**(166)**	**(166)**	**(70)**	**(70)**

पूर्वोत्तर कुल			**(964)**	**(977)**	**(1,450)**	**(1,454)**	**(1,692)**	**(1,842)**	**(1,788)**	**(1,949)**	**(1,630)**	**(1,795)**
उत्तरी	**दिल्ली**	बीएसईएस राजधानी	187	187	388	388	121	121	21	21	8	8
		बीएसईएस यमुना	77	77	155	155	21	21	25	25	11	11
		टीपीडीडीएल	351	351	258	258	339	339	310	310	334	334
	दिल्ली कुल		**614**	**614**	**801**	**801**	**481**	**481**	**356**	**356**	**353**	**353**
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	(633)	(680)	(792)	(955)	(4,599)	(4,599)	(1,352)	(1,352)	(1,648)	(1,648)
		यूएचबीवीएनएल	(912)	(912)	(129)	(129)	(8,604)	(8,604)	(2,297)	(2,297)	(1,465)	(1,465)
	हरियाणा कुल		**(1,545)**	**(1,593)**	**(921)**	**(1,084)**	**(13,203)**	**(13,203)**	**(3,649)**	**(3,649)**	**(3,113)**	**(3,113)**
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	(153)	(153)	(122)	(122)		0		0		0
		एचपीएसईबी लि.		0	(380)	(380)	(513)	(513)	(340)	(340)	(75)	(75)
	हिमाचल प्रदेश कुल		**(153)**	**(153)**	**(502)**	**(502)**	**(513)**	**(513)**	**(340)**	**(340)**	**(75)**	**(75)**
	जम्मू व कश्मीर	जे एण्ड के पीडीडी	(2,106)	(2,106)	(2,167)	(2,167)	(3,037)	(3,037)	(3,129)	(3,129)	(2,387)	(2,387)
	जम्मू व कश्मीर कुल		**(2,106)**	**(2,106)**	**(2,167)**	**(2,167)**	**(3,037)**	**(3,037)**	**(3,129)**	**(3,129)**	**(2,387)**	**(2,387)**
	पंजाब	पीएसईबी	(1,302)	(1,302)		0		0		0		0
		पीएसपीसीएल		0	(1,640)	(1,640)	(537)	(459)	261	94	256	256
	पंजाब कुल		**(1,302)**	**(1,302)**	**(1,640)**	**(1,640)**	**(537)**	**(459)**	**261**	**94**	**256**	**256**
	राजस्थान	एवीवीएनएल	0	(3,924)	(6,907)	(6,907)	(7,596)	(7,596)	(3,905)	(3,905)	(4,843)	(4,843)
		जेडीवीवीएनएल	0	(3,169)	(6,827)	(6,827)	(6,179)	(6,179)	(4,285)	(4,285)	(5,299)	(5,299)
		जेवीवीएनएल	(0)	(3,913)	(7,636)	(7,636)	(5,797)	(5,797)	(4,161)	(4,161)	(5,503)	(5,503)
	राजस्थान कुल		**0**	**(11,006)**	**(21,370)**	**(21,370)**	**(19,572)**	**(19,572)**	**(12,351)**	**(12,351)**	**(15,645)**	**(15,645)**
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	(1,322)	(1,322)	(1,322)	(1,322)	(2,840)	(2,840)	(3,364)	(3,364)	(5,521)	(5,521)
		केसको	(155)	(155)	(182)	(182)	(384)	(384)	(545)	(545)	(674)	(674)
		एमवीवीएन	(733)	(733)	(742)	(742)	(1,765)	(1,765)	(2,033)	(2,033)	(3,263)	(3,263)
		पश्चिम वीवीएन	(629)	(629)	(453)	(453)	(1,992)	(1,992)	(1,303)	(1,303)	(3,172)	(3,172)
		पूर्व वीवीएन	(492)	(492)	(1,268)	(1,268)	(2,244)	(2,244)	(2,533)	(2,533)	(4,095)	(4,095)
	उत्तर प्रदेश कुल		**(3,330)**	**(3,330)**	**(3,966)**	**(3,966)**	**(9,224)**	**(9,224)**	**(9,778)**	**(9,778)**	**(16,724)**	**(16,724)**
	उत्तराखण्ड	उत्तरांचल पीसीएल	(527)	(527)	(204)	(204)	(55)	(55)	(16)	(16)	323	323
	उत्तराखण्ड कुल		**(527)**	**(527)**	**(204)**	**(204)**	**(55)**	**(55)**	**(16)**	**(16)**	**323**	**323**
उत्तरी कुल			**(8,350)**	**(19,403)**	**(29,969)**	**(30,132)**	**(45,660)**	**(45,582)**	**(28,647)**	**(28,814)**	**(37,011)**	**(37,012)**
दक्षिणी	**आंध्र प्रदेश**	एपीसीपीडीसीएल	36	(1,198)	3	(778)	4	(1,476)	(7,718)	(7,718)	(811)	(811)
		एपीईपीडीसीएल	18	(435)	13	(572)	25	(963)	(1,681)	(1,681)	(136)	(136)
		एपीएनपीडीसीएल	7	(892)	7	(409)	3	(874)	(3,436)	(3,445)	(31)	(31)
		एपीएसपीडीसीएल	4	(1,116)	3	(418)	6	(710)	(4,673)	(4,678)	(401)	(401)
	आंध्र प्रदेश कुल		**66**	**(3,641)**	**26**	**(2,178)**	**38**	**(4,022)**	**(17,508)**	**(17,522)**	**(1,379)**	**(1,379)**
	कर्नाटक	बेस्कॉम	12	112	0	0	118	107	(433)	(433)	76	76
		चेस्कॉम	(74)	(318)	11	11	(123)	(269)	(270)	(337)	(16)	(72)
		गेस्कॉम	(31)	(31)	61	61	(5)	34	(189)	(189)	38	38
		हेस्कॉम	(174)	(174)	(65)	(65)	40	40	41	41	(576)	(576)
		मेस्कॉम	9	(14)	2	2	6	6	13	13	0	0
	कर्नाटक कुल		**(258)**	**(424)**	**10**	**10**	**36**	**(82)**	**(838)**	**(905)**	**(478)**	**(534)**
	केरल	केएसईबी	241	241	241	241	241	241	241	241	140	140
		केएसईबीएल		0		0		0		0	(29)	(29)
	केरल कुल		**241**	**241**	**241**	**241**	**241**	**241**	**241**	**241**	**111**	**111**
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	(47)	(47)	(134)	(134)	(164)	(164)	(308)	(308)	(60)	(60)
	पुडुचेरी कुल		**(47)**	**(47)**	**(134)**	**(134)**	**(164)**	**(164)**	**(308)**	**(308)**	**(60)**	**(60)**

	तमिलनाडु	टीएनईबी	(10,295)	(10,295)	(6,273)	(6,273)		0		0		0
		टांजेडको		0	(5,634)	(5,634)	(13,321)	(13,308)	(11,679)	(12,064)	(13,985)	(14,052)
	तमिलनाडु कुल		**(10,295)**	**(10,295)**	**(11,907)**	**(11,907)**	**(13,321)**	**(13,308)**	**(11,679)**	**(12,064)**	**(13,985)**	**(14,052)**
दक्षिणी कुल			**(10,293)**	**(14,166)**	**(11,764)**	**(13,967)**	**(13,171)**	**(17,337)**	**(30,092)**	**(30,559)**	**(15,791)**	**(15,914)**
पश्चिमी	**छत्तीसगढ़**	सीएसपीडीसीएल	(351)	(351)	(581)	(581)	(2,012)	(2,012)	(498)	(498)	(630)	(630)
	छत्तीसगढ़ कुल		**(351)**	**(351)**	**(581)**	**(581)**	**(2,012)**	**(2,012)**	**(498)**	**(498)**	**(630)**	**(630)**
	गोवा	गोवा पीडी	16	16	(79)	(79)	(271)	(271)	(285)	(285)	(4)	(4)
	गोवा कुल		**16**	**16**	**(79)**	**(79)**	**(271)**	**(271)**	**(285)**	**(285)**	**(4)**	**(4)**
	गुजरात	डीजीवीसीएल	22	22	63	63	76	76	25	25	52	52
		एमजीवीसीएल	17	17	25	25	36	36	21	21	19	19
		पीजीवीसीएल	4	4	3	3	9	9	11	11	10	10
		यूजीवीसीएल	6	6	13	13	12	12	14	14	14	14
	गुजरात कुल		**48**	**48**	**103**	**103**	**134**	**134**	**71**	**71**	**95**	**95**
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	(779)	(779)	(605)	(605)	(1,129)	(1,129)	(1,593)	(1,595)	(2,672)	(2,672)
		एमपी पश्चिमी क्षेत्र वीवीसीएल	(1,433)	(1,433)	(578)	(578)	(624)	(624)	(1,425)	(1,425)	(1,811)	(1,811)
		एमपी पूर्वी क्षेत्र वीवीसीएल	(1,131)	(1,131)	(974)	(974)	(1,167)	(1,167)	(1,432)	(1,432)	(1,887)	(1,893)
	मध्य प्रदेश कुल		**(3,342)**	**(3,342)**	**(2,157)**	**(2,157)**	**(2,920)**	**(2,920)**	**(4,450)**	**(4,452)**	**(6,370)**	**(6,376)**
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	(1,085)	(1,085)	(1,505)	(1,505)	(808)	(808)	(871)	(871)	(280)	(280)
	महाराष्ट्र कुल		**(1,085)**	**(1,085)**	**(1,505)**	**(1,505)**	**(808)**	**(808)**	**(871)**	**(871)**	**(280)**	**(280)**
पश्चिमी कुल			**(4,714)**	**(4,714)**	**(4,219)**	**(4,219)**	**(5,877)**	**(5,877)**	**(6,034)**	**(6,036)**	**(7,190)**	**(7,196)**
सकल योग			**(26,618)**	**(41,558)**	**(49,600)**	**(51,971)**	**(72,639)**	**(76,877)**	**(70,894)**	**(71,690)**	**(63,765)**	**(64,060)**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1843

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु निधि

1843. श्रीमती वंदना चव्हाणः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत किए गए गांवों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्रयुक्त और स्वीकृत निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के लिए प्रभारित रियायती प्रशुल्क के कारण संभावित घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) क्या महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए राजसहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** पर दी गई है।

(ख) : विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृत परियोजनाओं और जारी निधियों का ब्यौरा इस प्रकार हैः

(रुपए करोड़ में)

	2012-13 के दौरान	**2013-14 के दौरान**	**2014-15 के दौरान**
संस्वीकृत निधियां	-	23606.38	8853.12
संवितरित निधि	903.39	2373.10	3586.62

(ग) : प्रशुल्क का निर्धारण संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है, तथापि, हाल ही में शुरू की गई उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का लक्ष्य विद्युत की लागत कम करना भी है।

(घ) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, ऑफ-ग्रिड गांवों के मामले में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत 1216.68 करोड़ रुपए की संस्वीकृत परियोजना लागत की तुलना में, 1022.64 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी निर्धारित की गई है। इस घटक के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 14.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1843 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	2012-13	2013-14	2014-15
1	अरुणाचल प्रदेश	387	282	107
2	असम	190	125	190
3	बिहार	701	206	341
4	छत्तीसगढ़	214	164	67
5	हिमाचल प्रदेश	5	0	8
6	जम्मू व कश्मीर	28	27	9
7	झारखंड	181	47	161
8	कर्नाटक	1	0	0
9	मध्य प्रदेश	92	98	86
10	मणिपुर	0	0	192
11	मेघालय	482	144	43
12	मिजोरम	5	13	45
13	नागालैंड	9	4	10
14	ओडिशा	119	84	13
15	राजस्थान	138	18	70
16	त्रिपुरा	16	1	0
17	उत्तर प्रदेश	3	0	59
18	उत्तराखंड	0	0	4
19	पश्चिम बंगाल	16	0	0
	कुल	**2587**	**1213**	**1405**

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 14.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1843 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

29.02.2016 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति			
क्रम सं.	**राज्य**	**संस्वीकृत परियोजना लागत (लाख रुपए में)**	**कुल सब्सिडी राशि (लाख रुपए में)**
1	आंध्र प्रदेश	9713.98	8411.1735
2	असम	26670.84	24003.756
3	अरुणाचल प्रदेश	11189	10070.1
4	बिहार	3784.64	3406.176
5	छत्तीसगढ़	20570.96	15844.62
6	झारखंड	16809.91	12921.069
7	कर्नाटक	4384.12	3936.483
8	केरल	531.83	478.647
9	मध्य प्रदेश	10504.57	8285.9805
10	मेघालय	1212.4	1091.16
11	ओडिशा	5872.68	4434.06
12	राजस्थान	1891.11	1701.999
13	उत्तर प्रदेश	8026	7223.4
14	उत्तराखंड	506.26	455.634
कुल डीडीयूजीजेवाई		**121668.3**	**102264.258**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1844

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

बिजली मीटरों की अधिप्राप्ति के लिए निधियन

1844. श्री बलविंदर सिंह भुंडरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) और पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) बिजली के मीटरों की अधिप्राप्ति के लिए राज्य विद्युत् बोर्डों और वितरण कंपनियों का निधीयन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में आरईसी और पीएफसी द्वारा राज्य विद्युत् बोर्डों/वितरण कंपनियों को किए गए निधियन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु कि आरईसी और पीएफसी द्वारा जारी की गई निधि का उपयोग सही तरीके से सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) वितरण यूटिलिटियों के विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्य विद्युत बोर्डों/डिस्कॉमों का वित्त-पोषण कर रहे हैं जिनमें ऊर्जा मीटरों की खरीद भी शामिल है। आरईसी तथा पीएफसी द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान वितरण क्षेत्र में स्वीकृत किए गए ऋण के ब्यौरे क्रमश: **अनुबंध-I** तथा **अनुबंध-II** में संलग्न हैं।

(ग) : डिस्कॉमों को जो निधियां जारी की जाती हैं, उनकी प्रतिपूर्ति कार्यों की प्रगति के आधार पर की जाती है। राज्यों में स्थित आरईसी के परियोजना कार्यालय आरईसी द्वारा वित्त-पोषित स्कीमों की आवधिक आधार पर निगरानी करते हैं। पीएफसी का संवितरण तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि निधियां ऋणी द्वारा सामग्री प्राप्ति के आधार पर जारी की जाएं।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 14.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1844 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों (2012-2015) को दौरान वितरण स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/विद्युत यूटिलिटियों को आरईसी द्वारा की गई संस्वीकृति

राज्य	**तीन वर्षों का योग (रुपए करोड़ में)**
आंध्र प्रदेश	6124.70
छत्तीसगढ़	678.16
हरियाणा	3780.87
हिमाचल प्रदेश	255.01
जम्मू व कश्मीर	116.09
कर्नाटक	5444.60
केरल	2079.41
मध्य प्रदेश	426.62
महाराष्ट्र	8508.21
मणिपुर	39.88
ओडिशा	197.72
पंजाब	3808.04
राजस्थान	4546.89
तमिलनाडु व पुडुचेरी	2972.01
तेलंगाना	1207.19
उत्तर प्रदेश	4860.08
उत्तरांचल	646.85
पश्चिम बंगाल	3173.84
डीवीसी	790.00
पुडुचेरी - यूटी	63.58
कुल	**49719.75**

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 14.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1844 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों (2012-2015) को दौरान वितरण स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/विद्युत यूटिलिटियों को पीएफसी द्वारा की गई संस्वीकृति

क्रम सं.	**राज्य**	**तीन वर्षों के लिए कुल (रुपए करोड़ में)**
1	आंध्र प्रदेश	75
2	बिहार	169
3	छत्तीसगढ़	162
4	हिमाचल प्रदेश	83
5	कर्नाटक	358
6	केरल	802
7	मध्य प्रदेश	328
8	महाराष्ट्र	14
9	मिजोरम	24
10	पुडचेरी	64
11	राजस्थान	3,629
12	तमिलनाडु	85
13	उत्तर प्रदेश	446
14	उत्तराखंड	58
कुल		**6,298**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1845

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

बिजली की चोरी

1845. श्री अम्बेथ राजनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश-भर में व्याप्त बिजली की चोरी का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान पता लगाई गई और सूचित की गई बिजली की चोरी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने देश-भर में व्याप्त बिजली की चोरी पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी की निगरानी करती है जिसमें चोरी के कारण हुई हानियां भी शामिल हैं। राजस्व संग्रहण करने और विद्युत के उपयोग में कमी का लेखा रखने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकारों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने विद्युत चोरी से संबंधित विस्तृत मामलों का ब्यौरा तैयार किया है जो वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 (नवंबर, 2014 तक) के दौरान सूचित किए गए थे, जिसके ब्यौरे **अनुबंध** में हैं।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 में विद्युत वितरण कंपनियों के लिए विद्युत चोरी के लिए सक्षम दंडात्मक प्रावधान हैं। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत चोरी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए, एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) जैसी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से वितरण अवसंरचना को आईटी युक्त बनाने, फीडर मीटरिंग, फीडर पृथक्करण एवं सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि ट्रेजेक्ट्रीज निगरानी जैसी कई मध्यस्थताएं की हैं।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 14.03.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1845 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विशेष न्यायालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में दायर/पंजीकृत विद्युत चोरी के मामलों से संबंधित सूचना

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	विशेष न्यायालयों में पंजीकृत विद्युत चोरी के मामलों की संख्या	चोरी के उन मामलों की संख्या जिनमें मुकद्दमा चल रहा है	चोरी के उन मामलों की संख्या जिनमें न्याय-निर्णय किया जा चुका है/दंड दिया गया है
	राज्य			
1	**गुजरात**			
	2011-12	2111	903	156
	2012-13	2540	1191	104
	2013-14	3168	1406	92
	2014-15(11/2014 तक)	2450	1290	65
2	**छत्तीसगढ़**			
	2011-12	3037		1300
	2012-13	2654	-	1541
	2013-14	2856		1680
	2014-15(11/2014 तक)	3329		1503
3	**कर्नाटक**			
	2011-12	20887	183	54
	2012-13	15871	193	18
	2013-14	12672	365	7
	2014-15(11/2014 तक)	6902	224	5
4	**मध्य प्रदेश**			
	क. पीकेवीवीसीएल			
	2011-12	23957	18102	5282
	2012-13	24948	17539	6561
	2013-14	20014	15977	3284
	2014-15(11/2014 तक)	15394	12848	1299
	ख. एमपीपीकेवीवीसीएल			
	2011-12	22150	22042	692
	2012-13	25071	24914	1205
	2013-14	18663	18081	1172
	2014-15(11/2014 तक)	19033	19012	153
	ग. एमपीएमकेवीवीसीएल			
	2011-12	14675	11253	4977
	2012-13	15937	13345	5381
	2013-14	16466	12778	3965
	2014-15(11/2014 तक)	13467	8595	1763
5	**महाराष्ट्र**			
	2011-12	13066	3772	
	2012-13	22767	4732	-
	2013-14	17443	4625	
	2014-15(11/2014 तक)	14017	4793	
6	**तेलंगाना**			

	2011-12	63817	25	6
	2012-13	74399	14	17
	2013-14	64083	62	12
	2014-15(11/2014 तक)	44564	73	27
7	**ओडिशा**			
	2011-12	445		
	2012-13	491		
	2013-14	546		
	2014-15(11/2014 तक)	256		
	* वित्त वर्ष-वार आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण ओडिशा की साउथको एवं अन्य ऊर्जा पुलिस स्टेशन शामिल नहीं हैं।			
8	**तमिलनाडु जीईडीसीओ**			
	चेन्नई दक्षिण क्षेत्र			
	2011-12	1	1	0
	2012-13	1	1	0
	2013-14	0	0	0
	2014-15(11/2014 तक)	0	0	0
	तिरूनेलवेली क्षेत्र			
	2011-12	10	8	2
	2012-13	0	0	0
	2013-14	2	2	0
	2014-15(11/2014 तक)	-	-	-
	मदुरै क्षेत्र			
	2011-12	4	0	4
	2012-13			
	2013-14			
	2014-15(11/2014 तक)			
	कोयम्बटूर क्षेत्र			
	2011-12	2	0	
	2012-13		0	
	2013-14		2	
	2014-15(11/2014 तक)		0	1
	उपर्युक्त वर्षों के लिए, तमिलनाडु गेडको के सेलम ईडीसी, नमक्काल, ईडीसी, इरोड ईडीसी, गोबी ईडीसी, चेन्नई उत्तरी क्षेत्र, विल्लुपुरम क्षेत्र, त्रिची क्षेत्र एवं वेल्लोर क्षेत्र से संबंधित सूचना शून्य है।			
9	**दिल्ली**			
	टीपीडीडीएल			
	2011-12	1180	901	9
	2012-13	1198	1354	23
	2013-14	1856	1382	22
	2014-15(11/2014 तक)	1639	1340	18
	बीआरपीएल			
	2011-12	1060	3781	197
	2012-13	2714	4235	129
	2013-14	2724	5826	115
	2014-15(11/2014 तक)	1573	6061	79
	बीवाईपीएल			
	2011-12	1490	75	23
	2012-13	1570	206	52
	2013-14	2095	169	71
	2014-15(11/2014 तक)	1451	167	59
10	**आंध्र प्रदेश**			
	एपीईपीडीसीएल			

	2011-12	1594	6	7
	2012-13	1760	0	4
	2013-14	1841	1	0
	2014-15(11/2014 तक)	932	1	0
11	**पंजाब**			
	2011-12	779	93	29
	2012-13	1806	129	15
	2013-14	1924	73	10
	2014-15(11/2014 तक)	2134	53	5
12	**मिजोरम**	कोई सूचना नहीं		
	2011-12			
	2012-13			
	2013-14			
	2014-15(11/2014 तक)			
13	**अरूणाचल प्रदेश**	विशेष न्यायालय गठित नहीं किया गया है।		
	2011-12			
	2012-13			
	2013-14			
	2014-15(11/2014 तक)			
14	**मणिपुर**			
	2011-12	84	36	0
	2012-13	433	386	123
	2013-14	16	338	338
	2014-15(11/2014 तक)	0	0	0
15	**मेघालय**			
	2011-12	4	-	1
	2012-13	-	2	-
	2013-14	-	2	2
	2014-15(08/2014 तक)	-	-	1
16	**नागालैंड**			
	2011-12	286		
	2012-13	354		
	2013-14	1060		
	2014-15(11/2014 तक)	635		
टिप्पणी:- विद्युत विभाग, नागालैंड ने विद्युत चोरी रोधी सचल दस्ता/विद्युत चोरी रोधी पुलिस स्टेशन बनाए हैं।				
	संघ शासित क्षेत्र			
1	**अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह**	अंडमान एंड निकोबार में चोरी के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं है। अतः आज तक कोई विशेष न्यायालय गठित नहीं किया गया है।		
	2011-12			
	2012-13			
	2013-14			
	2014-15(11/2014 तक)			
2	**दमन एवं दीव**	कोई सूचना नहीं		
	2011-12			
	2012-13			
	2013-14			
	2014-15(11/2014 तक)			
टिप्पणी:- शेष राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रा से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।				

(स्रोत: सीईए)

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1846

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

गांवों को बिजली के वितरण हेतु तौर-तरीके

1846. श्री पि. भट्टाचार्यः
श्री रामदास अठावलेः
कुमारी शैलजाः
श्रीमती रजनी पाटिलः
श्री दर्शन सिंह यादवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अपनी राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य का आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत विद्युतीकृत किए गए गांवों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) आगामी वर्ष के दौरान इस योजना के अधीन शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित गांवों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत गांवों को बिजली के वितरण संबंधी तौर-तरीकों का निर्धारण कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गांवों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत मंत्रालय के पास राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम (एनआरईएस) के नाम से कोई स्कीम नहीं है। तथापि, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है। दिनांक 29.02.2016 की स्थिति के अनुसार, संचयी रूप से, 1,14,452 गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरे किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। 5686 गैर-विद्युतीकृत गांवों को वर्ष 2015-16 में विद्युतीकृत किया जाना है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया हैं।

(घ) और (ङ) : ग्रामीण विद्युतीकरण के अतिरिक्त, डीडीयूजीजेवाई स्कीम में उप-पारेषण, वितरण का सुदृढ़ीकरण, गांवों को विश्वसनीय और गुणवत्तापरक विद्युत की आपूर्ति सुगम बनाने के लिए तथा फीडर पृथक्करण शामिल है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 14.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1846 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

दिनांक 29.02.2016 की स्थिति के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	2123
2	असम	8954
3	बिहार	24918
4	छत्तीसगढ़	1569
5	हिमाचल प्रदेश	90
6	जम्मू व कश्मीर	238
7	झारखंड	18077
8	कर्नाटक	55
9	मध्य प्रदेश	958
10	मणिपुर	878
11	मेघालय	1842
12	मिजोरम	170
13	नागालैंड	102
14	ओडिशा	15428
15	राजस्थान	4284
16	सिक्किम	25
17	त्रिपुरा	153
18	उत्तर प्रदेश	28882
19	उत्तराखंड	1514
20	पश्चिम बंगाल	4192
	कुल	**114452**

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 14.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1846 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्ष 2015-16 के दौरान, विद्युतीकृत किए जाने वाले गैर-विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार सूची

क्रम सं.	**राज्य**	**लक्षित यूई गांव**
1	असम	517
2	बिहार	1664
3	छत्तीसगढ़	449
4	हिमाचल प्रदेश	20
5	जम्मू व कश्मीर	26
6	झारखंड	907
7	कर्नाटक	5
8	मध्य प्रदेश	234
9	मणिपुर	274
10	मेघालय	28
11	मिजोरम	16
12	नागालैंड	28
13	ओडिशा	351
14	राजस्थान	151
15	सिक्किम	1
16	त्रिपुरा	13
17	उत्तर प्रदेश	984
18	पश्चिम बंगाल	18
कुल		**5686**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1847

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

एलईडी लाइटों का प्रयोग

1847. श्री लाल सिंह वडोदियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) लाईट को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एलईडी लाइट को बढ़ावा देने के लिए और अधिक निधि जारी कराने का विचार रखती है;

(ग) क्या सरकार के पास एलईडी लाइट द्वारा बिजली की कम खपत संबंधी कोई आंकड़े उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 05 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम की शुरूआत की है जिसका कार्यान्वयन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), जो कि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दो पहलें अर्थात घरेलू दक्ष प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम (डीईएलपी) तथा सड़क प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम (डीईएलपी) शुरू की गई है जिसमें क्रमशः घरेलू प्रकाश व्यवस्था और स्ट्रीट लाइटों को एलईडी से बदला जाता है। ईईएसएल ने एक नया व्यावसायिक मॉडल तैयार किया है जिसमें इसके द्वारा इन कार्यक्रमों में समग्र निवेश किया जाता है और कुछ समय पश्चात ऊर्जा बचतों से वापस दे दिया जाता है। इससे इस कार्यक्रम के लिए किसी सरकारी वित्तपोषण की आवश्यकता नहीं होती है।

(ग) और (घ) : ईईएसएल ने एक वेब आधारित डैशबोर्ड तैयार किया है जिसमें वितरित किए गए एलईडी बल्बों की संख्या के बारे में वास्तविक सूचना और ऊर्जा में लगभग बचत, बचाई गई वास्तविक मांग तथा ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) में कमी को वास्तविक समय के आधार पर दर्शाया जाता है। डैशबोर्ड www.delp.in पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 5 परियोजनाओं जिसमें दो कार्यक्रमों में से प्रत्येक कार्यक्रम के स्वतंत्र सर्वेक्षण ने ऊर्जा बचत दर्शाई हैं जैसा कि **अनुबंध** में दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट को ऊपर दर्शाए गए वेबसाइट पर अपलोड भी किया गया है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 14.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1847 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

ऊर्जा बचत

1. डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम (डीईएलपी)

क्षेत्र	**समग्र परियोजना के लिए बचाई गई यूनिट (मिलियन केडब्ल्यूएच)**	**व्यस्ततम भार कमी (मेगावाट)**	**उत्सर्जन कमी (हजार tCO2)**
पुडुचेरी	80.95	15.81	65.6
अनंतपुर	150.06	29.36	121.5
गुंटूर	249.33	48.70	202.0
श्रीकाकुलम	142.04	27.87	115.1
डब्ल्यू. गोदावरी	214.10	41.82	173.4
कुल (पांच शहरों के लिए)	836.48	163.56	677.6
राष्ट्रीय स्तर (77 करोड़ एलईडी बल्ब के वितरण के लिए अनुमानित)	102901	20122	84379.5

2. स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी)

शहरों के नाम	**एलईडी की संख्या (हजार में)**	**वार्षिक ऊर्जा बचत (मिलियन केडब्ल्यूएच)**	**कम किया गया जीएचजी उत्सर्जन (हजार tCO2)**	**व्यस्ततम भार कमी (मेगावाट)**
वाराणसी	0.947	1.56	1.278	0.39
झालावाड़	2.449	0.37	0.303	0.09
माउंट आबु	1.807	0.65	0.530	0.16
विजाग	91.775	23.54	19.302	5.05
अगरतला	34.200	3.90	3.200	0.97
कुल (5 शहरों के लिए)	**131.178**	**30.02**	**24.613**	**6.66**
कुल (3.5 करोड़ स्ट्रीट लाइटों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित)	**35000**	**8008.59**	**6567.04**	**1777**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1848

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

1848. श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश-भर की विद्युत वितरण कंपनियों को हुए अत्यधिक घाटे के मद्देनज़र विद्युत क्षेत्र में हाल ही में सुधारों का आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन-कौन से पैकेजों की घोषणा की गई है;

(ग) कितने और कौन-कौन सी राज्य विद्युत वितरण एककों को घाटा हो रहा है तथा ऐसे घाटे के क्या कारण हैं; और

(घ) विद्युत वितरण कंपनियों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय तथा प्रचालनात्मक टर्नअराउंड के लिए उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य डिस्कॉम की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार लाने के अतिरिक्त, वितरण क्षेत्र में ब्याज भार, विद्युत लागत तथा विद्युत हानियों को कम करना है।

(ग) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2013-14 में लाभ प्राप्त कर रही/घाटा उठा रही यूटिलिटियों के ब्यौरे **अनुबंध** में हैं। राज्य विद्युत यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति के मुख्य कारणों में उच्च समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियां, उच्च औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) तथा निम्न औसत राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं।

(घ) : सुधारात्मक उपायों के रूप में, राज्य दिनांक 30.09.2015 की स्थिति के अनुसार, डिस्कॉम के बकाया ऋण का 75% भाग वहन करेगा। कोयला लिंकेज युक्तिकरण, अकुशल से कुशल संयंत्रों को कोयले की अदला-बदली की उदार अनुमति देने, अधिसूचित मूल्यों पर कोयला लिंकेज आवंटित करने, मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता उपायों तथा एटीएण्डसी हानियों में कमी करने की कार्रवाई की परिकल्पना की गई है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 14.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1848 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्ष 2013-14 के लिए यूटिलिटियों को हानि

			2013-14	
क्षेत्र	**राज्य**	**यूटिलिटी**	**सब्सिडी प्राप्ति आधार पर लाभ/(हानि)**	**वास्तविक आधार पर कर पश्चात लाभ/(हानि)**
पूर्वी	**बिहार**	एनबीपीडीसीएल	(74)	(74)
		एसबीपीडीसीएल	(269)	(269)
	झारखण्ड	जेएसईबी	(1,511)	(1,511)
	ओडिशा	सेसू	(199)	(199)
		नेसको	(45)	(45)
		सेसको	(11)	(11)
		वेसको	(87)	(87)
पूर्वोत्तर	**अरुणाचल प्रदेश**	अरुणाचल पीडी	(428)	(428)
	असम	एपीडीसीएल	(693)	(528)
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	(194)	(194)
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	(26)	(26)
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	(192)	(192)
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	(191)	(191)
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	(70)	(70)
उत्तरी	**हरियाणा**	डीएचबीवीएनएल	(1,648)	(1,648)
		यूएचबीवीएनएल	(1,465)	(1,465)
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लि.	(75)	(75)
	जम्मू व कश्मीर	जे एण्ड के पीडीडी	(2,387)	(2,387)
	राजस्थान	एवीवीएनएल	(4,843)	(4,843)
		जेडीवीवीएनएल	(5,299)	(5,299)
		जेवीवीएनएल	(5,503)	(5,503)
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	(5,521)	(5,521)
		केसको	(674)	(674)
		एमवीवीएन	(3,263)	(3,263)
		पश्चिम वीवीएन	(3,172)	(3,172)
		पूर्व वीवीएन	(4,095)	(4,095)
दक्षिणी	**आंध्र प्रदेश**	एपीसीपीडीसीएल	(811)	(811)
		एपीईपीडीसीएल	(136)	(136)
		एपीएनपीडीसीएल	(31)	(31)
		एपीएसपीडीसीएल	(401)	(401)
	कर्नाटक	चेस्कॉम	(72)	(16)
		हेस्कॉम	(576)	(576)
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	(60)	(60)
	तमिलनाडु	टांजैडको	(14,052)	(13,985)
पश्चिमी	**छत्तीसगढ़**	सीएसपीडीसीएल	(630)	(630)
	गोवा	गोवा पीडी	(4)	(4)
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	(2,672)	(2,672)
		एमपी पश्चिमी क्षेत्र वीवीसीएल	(1,811)	(1,811)
		एमपी पूर्वी क्षेत्र वीवीसीएल	(1,893)	(1,887)
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	(280)	(280)
सकल योग			**(65,365)**	**(65,070)**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1850

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

बेंगलुरु को बिजली के पूरे कोटे की आपूर्ति

1850. श्री राजीव चद्रशेखरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में राज्य और केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से बेंगलुरु को प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाने वाली कुल बिजली आपूर्ति का कोटा कितना है;

(ख) क्या शहर को राज्य और केन्द्रीय ग्रिड से उसके पूरे कोटे की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मंत्रालय, शहर के समक्ष उपस्थित बिजली की भारी कमी के संकट का समाधान करने के लिए क्या विशिष्ट कदम, यदि कोई है, उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण का कार्य संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र में आता है। भारत सरकार सीपीएसयू के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके और उनसे राज्यों को विद्युत का आबंटन कर उनके प्रयासों का अनुपूरण करती है। केंद्र सरकार द्वारा आबंटित विद्युत और राज्य क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त की गई विद्युत की आपूर्ति डिस्कॉमों द्वारा, संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्राथमिकता के अनुसार, राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों/शहरों/नगरों में की जाती है। इस प्रकार से, देश में केंद्र सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति की निगरानी राज्यवार की जाती है, न कि क्षेत्रवार/शहरवार। तदनुसार, कर्नाटक की राजधानी होने के कारण बैंगलूरू शहर में विद्युत आपूर्ति की स्थिति की निगरानी एवं अनुरक्षण कर्नाटक सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है।

तथापि, कर्नाटक सरकार द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों को देखते हुए, केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 4 नवम्बर, 2015 को, इस समस्या के समाधान के लिए दक्षिणी क्षेत्र पूल से, 200 मेगावाट की अनाबंटित विद्युत का आबंटन किया गया है। हाल ही में, केंद्र सरकार ने, कर्नाटक को दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) से लगभग 300 मेगावाट विद्युत की खरीद को भी सुविधाजनक बनाया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1851

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

कायमकुलम स्थित एनटीपीसी संयंत्र का पुनरुद्धार

1851. श्री सी. पी. नारायणनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल के कायमकुलम में स्थित एनटीपीसी का संयंत्र, नैफ्था की ऊंची कीमतों के कारण लगभग बंद पड़ा हुआ है;

(ख) अब चूंकि तेल की कीमतों में गिरावट आने से नैफ्था की कीमत घट गई है, तो क्या इस संयंत्र का आरंभ किया जाएगा;

(ग) इस संयंत्र को 500 मेगावाट या 750 मेगावाट स्टेशन के रूप में संचालित करने के लिए क्या एलएनजी को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि केरल को उचित कीमतों पर बिजली मिल सके; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस संयंत्र के स्थानांतरण की कोई योजना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : एनटीपीसी का कायमकुलम संयंत्र पूर्ण भार उत्पादन के लिए उपलब्ध है। यद्यपि, केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) इस संयंत्र से नियमित आधार पर विद्युत की शेड्यूलिंग नहीं कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान (फरवरी, 2016 तक) 86.63% की घोषित क्षमता की तुलना में स्टेशन का वास्तविक संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) (फरवरी, 2016 तक) केवल 4.94% ही था।

(ख) : केरल सरकार, समय-समय पर, नाफ्था के प्रचलित मूल्य के आधार पर विद्युत की शेड्यूलिंग का निर्णय लेगी।

(ग) : इस संयंत्र की क्षमता 360 मेगावाट है और संयंत्र में गैस उपलब्ध होते ही, यह पुनः गैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) सहित बहु-ईंधन प्रज्ज्वलन में सक्षम है।

(घ) : संयंत्र का स्थानांतरण करने का फिलहाल कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1853

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

किसानों के लिए मुफ्त पम्प सेट

1853. डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचूः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में किसानों के सभी पम्प सेटों को बदलने के लिए निधि जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है व वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्धि हेतु निर्धारित लक्ष्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस संबंध में कितनी निधि निर्धारित और जारी की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी नहीं। तथापि, एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) विद्युत मंत्रालय के अधीन पीएसयू की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो विद्यमान पुराने एवं अकुशल पम्प सैटों को ऊर्जा दक्ष बीईई स्टार लेवल वाले पम्प सैटों से बदलने के लिए एक बिजनेस मॉडल तैयार करने का कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने इसके लिए कोई निधि जारी नहीं की है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1854

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

पंजाब में निजी ताप संयंत्र

1854. श्रीमती अम्बिका सोनीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में निजी ताप संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) दो पक्षों के बीच हुए विद्युत खरीद समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लहरा मोहब्बत ताप संयंत्र की सभी इकाइयां बंद हो गई हैं जिससे राज्य, निजी ताप संयंत्रों से ऊंची कीमत पर बिजली खरीदने हेतु बाध्य है;

(घ) क्या पंजाब राज्य ने अपने क्षेत्र में और ताप संयंत्र स्थापित करने के लिए केन्द्र से सहायता का अनुरोध किया है; और

(ङ) क्या राज्य के विद्युत क्षेत्र के कार्यकरण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : पंजाब सरकार ने राज्य में कुछ निजी ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने हेतु करार हस्ताक्षरित किए हैं। इन परियोजनाओं के विद्युत क्रय करार (पीपीए) सहित ऐसी निजी ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

क्रम सं.	**परियोजना का ब्यौरा**	**क्षमता (मेगावाट)**	**चालू हुईं/चालू होने का प्रत्याशित समय**	**विद्युत क्रय करार (पीपीए) का ब्यौरा**
1.	राजपुरा टीपीपी, यू-1 एवं 2 जिला पटियाला मैसर्स नाभा पावर डेवलपमेंट लि.	2X700=1400	यू-1 : 24.01.2014 (ए) यू-2 : 06.07.2014 (ए)	25 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 18.01.2010 को पीपीए हस्ताक्षरित किया गया हैं: • निर्धारित प्रभार 146.3 पैसे प्रति

				यूनिट है। • जनवरी, 2016 के लिए परिवर्तनीय प्रभार 212.8 पैसे प्रति यूनिट है।
2.	तलवंडी साबो टीपीपी, यू-1 से 3 जिला मन्सा मैसर्स तलवंडी साबो पावर लि.	3X660=1980	यू-1 : 17.06.2014 (ए) यू-2 : 30.10.2015 (ए) यू-3 : 06/2016	25 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 01.09.2008 को पीपीए हस्ताक्षरित किया गया हैं: • निर्धारित प्रभार 135.2 पैसे प्रति यूनिट है। • जनवरी, 2016 के लिए परिवर्तनीय प्रभार 263.8 पैसे प्रति यूनिट है।
3.	गोइंदवाल साहिब टीपीपी, यू-। एवं 2 जिला तरनतारन मैसर्स जीवीके पावर लि.	2X270=540	यू-1 : 14.02.2016 (ए) यू-2 : 06/2016	लागत आधिक्य आधार पर दिनांक 26.05.2009 को पीपीए हस्ताक्षरित किया गया है। प्रशुल्क का निर्धारण पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाएगा।

(ग) : सभी स्रोतों (पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के अपने ताप विद्युत उत्पादन सहित) से उपलब्ध ताप विद्युत क्षमता को पूर्ववर्ती महीनों की ऊर्जा प्रभार दरों पर निर्धारित योग्यता-क्रम के आधार पर शेड्यूल किया जा रहा है। स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) अर्थात नाभा पावर लिमिटेड (एनपीएल) एवं तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) के ऊर्जा प्रभारों की तुलना में लहरा मोहब्बत थर्मल इकाई के ऊर्जा प्रभार अधिक हैं।

(घ) : जी, नहीं।

(ङ) : जी, नहीं।

****